3 (15) 1/2

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा कसोल फाटी शोसन

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2 – 294/581

दिनांक 15/03/2021

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा कसोल फाटी शोसन की बैठक आज दिनांक 15/03/2021 को 11 बजे, स्थान ग्राम पंचायत कसोल में श्री/श्रीमति हीरा सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें कसोल ग्राम गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत P/4 कसोल जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतू प्राप्त आवेदनो पर चर्चा की गई, जिसमें कसोल में ठोस एवं तरल कचरा निष्पादन संयंत्र के निर्माण के लिए 0.1982 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जंगल/वन क्षेत्र में कसोल में ठोस एवं तरल कचरा निष्पादन संयंत्र के लिए अधिकार हेतू दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदानुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान कसोल

दिनांक 15/03/2021

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड कुल्लू
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

** प्रोजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
फाटी शोरन ग्राम पंचायत
कसोल जिला कुल्लू हि.प्र

सचिव
वन अधिकार समिति
फाटी शोरन, ग्राम पंचायत
कसोल जिला कुल्लू हि.प्र

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006

ग्राम सभा कसोल
विकास खण्ड कुल्लु जिला कुल्लु (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 105 / 306

दिनांक 07/03/2021

प्रस्ताव संख्या 12 (1)

विषय: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/संस्था को कसोल में ठोस एवं तरल कचरा निष्पादन सयंत्र के निर्माण हेतू ए/५ कसोल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1982 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा कसोल की बैठक आज दिनांक 07/03/2021 को 11 बजे, स्थान ग्राम पंचायत कसोल में की गई जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/संस्था को कसोल में ठोस एवं तरल कचरा निष्पादन सयंत्र के निर्माण हेतू ए/५ कसोल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1982 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से, यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1982 हैक्टेयर वन भूमि को कसोल में ठोस एवं तरल कचरा निष्पादन सयंत्र निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा कसोल की सहमति दी जाती है।

सचिव
ग्राम पंचायत कसोल
विकास खण्ड कुल्लू
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

स्थान कसोल
दिनांक 07/03/2021

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा